

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S. B. Civil Writ Petition No./2026

Anybody.

V/s

Union Of India & Ors.

**Application under rules 159 of Rajasthan High Court Rules
For entering in to Caveat**

MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIPS:

Your Lordship's, humble applicant wants to enter into Caveat under Rule 159 of the Rajasthan High Court Rules and it nothing should be done till the applicants are heard in the present matter. The particulars of the Writ which is likely to file are given below.

The Writ Petition may be filed by any of the following person:

Anybody

That the Writ Petition is likely to be filed against:

1. Union Of India through The Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi - 110001.
2. The Director General of Training (DGT) Employment Exchange Building, Pusa, New Delhi - 110012.
3. The Director, TC (Training Committee) Section Directorate General of Training, Kaushal Bhawan, New Moti Bagh, Chanakyapuri, New Delhi - 110023.
4. The State Director / Commissioner Directorate of Technical Education, Rajasthan, W-6, Residency Road, Jodhpur - 342011.
5. The Regional Director Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship (RDSDE), Rajasthan, NSTI (W) Campus, Opposite KV No-3, Sansthan Path, Jhallana Doongri, Jaipur - 302017

That the Writ Petition is to be filed will be S. B. Civil Writ Petition No...../2026

Against the order dated 07.08.2026 passed by The Director, TC (Training Committee) Section Directorate General of Training.

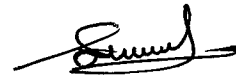
Copy of order dated 07.08.2026 enclosed here with this caveat application

The Memo/Vakalatnama on behalf of **Rajesh Kumar** is submitted herewith.

It is, therefore, humbly prayed that nothing be done in the case till the applicants are heard.

JODHPUR

Dated-



(SHYAM PALIWAL DSG)

COUNSEL FOR HUMBLE

APPLICANT

Note:-

(i) That the News Update is Available on the website of Dept.

ईमेल द्वारा

DGT-Aff011/3/2026-O/o DIR (TC) [E- 78874]

भारत सरकार/Government of India

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय/ Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

प्रशिक्षण महानिदेशालय/Directorate General of Training

7वीं मंजिल, कौशल भवन, न्यू मोती बाग,

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली – 110023,

दिनांक : 7 अगस्त 2026

To

The State Director,
Directorate of Technical Education, Rajasthan,
W-6, Residency Jodhpur-342011.

Subject: Minutes of the 33rd Meeting of the Standing Committee on Accreditation and Affiliation held on 10.07.2026 - regarding

Madam/ Sir,

Please find attached herewith a copy of Minutes of the 33rd Meeting of “Standing Committee on Accreditation and Affiliation (SCAA) held on 10.07.2026.

2. Any grievances regarding the decision outlined in the Minutes of the Meeting may be raised through the NIMI portal (<https://nimionlineadmission.in/iti/GrievancePortal/register.php>) within 30 days from the date of issue of the Minutes of the Meeting. Grievances submitted after this period will not be considered.

3 This issues with the approval of Competent Authority.

भवदीय ,

KETANKUMAR Digitally signed by
PRAVINBHAI KETANKUMAR
PATEL PRAVINBHAI PATEL
Date: 2026.08.07
12:27:59 +05'30'

(केतन पटेल)

निदेशक, टी . सी अनुभाग

Copy for information to:

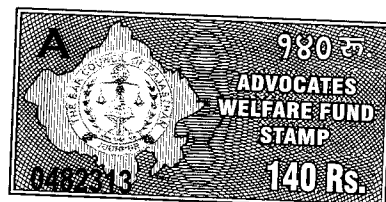
1. Sr.PPS to DG(T), DGT, New Delhi.
2. PPS to DDG(Affiliation)/SCAA Chairperson, DGT Hqrs, New Delhi.
3. The Regional Director, RDSDE Rajasthan, NSTI(W) Campus, Opposite KV No-3, Sansthan Path, Jhallana Doongri, Jaipur-302017
4. DGT MIS Portal In-charge, New Delhi, with a request to upload MoM on DGT MIS portal.

Signed By: KETANKUMAR
PRAVINBHAI PATEL
DGT New Delhi
07.08.2026 12:29

(श्रमेव शर्मा / Shramev Sharma)

उप निदेशक /Deputy Director , टी . सी अनुभाग

वकालत नामा



तारीख पेशी

मुकदमा नम्बर

S.B. Civil writ Petition No

12026

सेवा में श्री

R.H.C. at Jodhpur

Any body

बनाम

Union of India & Ors

मैं/हम

Rajesh Kumar

पुत्र

Chetan Ram, Age 39 years,

जाति

निवासी

Deputy Director, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship

Ship OGT

Room No 105

1st Floor

Pusa Campus, New Delhi,

तहसील

जिला

उपरोक्त मुकदमे में अपनी

ओर से श्री

Shyam Paliwal (Adv.)

R- 482510

को वकील नियुक्त करता हूँ/करते हैं। उनको मेरी/हमारी तरफ से नीचे लिखे खास अधिकार होंगे, दावा, जवाब दावा जवाबुल जवाब, अपील, कौंस ऑब्जेक्शन, दरखास्त, निगरानी दरखास्त, नजरसानी दरखास्त, इजराय, इस्तगासा उजरदारी इत्यादि अपने दस्तखत कर प्रस्तुत करना व इससे सम्बन्धित दूसरी दरखास्तें दस्तावेज मुकदमा अदम पैरवी में व इकतरफा होने पर बरामदगी की दरखास्त व इकतरफा मनसुखी की दरखास्त, दस्तावेज प्रस्तुत करना व वापस लेना रकम जमा कराने की दरखास्त करना न्यायालय से रकम वापिस लेना व राजीनामा करना व अपने हस्ताक्षर से राजीनामा प्रस्तुत करना व मुकदमे को वापिस लेना व विशेष शपथ द्वारा मुकदमे का निर्णय करने के लिए पंच नियुक्त करना व मेरी/हमारी तरफ से आर्डर 10 जाब्ता दीवानी के अनुसार बयान देना व मुकदमे की पैरवी एक्ट प्लीड करना व करने के लिए दूसरे वकील को नियुक्त करना व इब्तदाई डिकी से कतई डिकी से व अन्तरिम (दरम्यानी) आज्ञा के विरुद्ध अपील निगरानी व कास ऑब्जेक्शन इत्यादि पेश करना नसी मुख्तारनामा के आधार पर इसी न्यायालय में या दूसरे न्यायालय में करना व तस्दीक स्वीकार करना व इन्कम टेक्स, सेल टेक्स एग्रीकल्चर इ गानून के अन्तर्गत प्रत्येक कार्य करना जो करदाता स्वयं करता हो, इसके 'हमारी तरफ से सभी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार होगा। जै हूँ/सकते हैं व आखिर न्यायालय तक जो कुछ भी कार्यवाही सकील र 'हमको स्वीकार होगा जैसाकि मैंने/हमने खुद की हो। इस मुकदमे की पैरोकारी के लिये रुपये.....) अक्षरे तय किये है जिसमें से रुपयेअदा कर दिये है व रुपये) बाकी रहे सो..... दिन में या फैसले के पहले अदा कर दिये जायेंगे। निश्चित समय बाद अदा न करने पर सकील साहब मुकदमे की पैरवी बिना मुझको/हमको नोटिस देकर छोड़ सकेंगे। यह रकम इसी अदालत से एक बार मुकदमे का निर्णय होने तक के लिए चाहे निर्णय न्याय से हो चाहे आपसी रजामन्दी से हो या शपथ से होने पर भी तय शुदा रकम वकील साहब को लेने का हक होगा। मुकदमा इस न्यायालय से मुन्तकिल होंगा या अपील निगरानी वगैरा में जावेगा या रिमाण्ड हो तो इसके लिए न्यायालय का या दूसरे न्यायालय का मेहनताना अलग से देना पड़ेगा हर पेश पर मैं/हम या हिदायत अनुसार मैं/हम पैरवी करता रहूंगा/करते रहेंगे न करने पर वकील साहब को मुकदमे की पैरवी छोड़ने का हक होगा। परन्तु इस सूरत में तय शुदा रकम लेने का हक वकील साहब को होगा। इस मुख्तारनामा की रूह से एक से ज्यादा वकील मुकरर किये जाने की सूरत में एक हाजरी काफी होगी। अगर न्यायालय में मेरी रकम जमा होगी उसमें से वकील साहब का बकाया मेहनताना व दीगर खर्च जो वकील साहब मेरे मुकदमे का करेंगे अब्बल लेने का हक होगा व असली कागजात मुकदमे की फाइल बकाया रकम अदा किये बिना ले जाने का हक मेरा नहीं होगा। इल्लुआ पेशी इकतरफा मनसुखी व दीगर दरम्यानी खर्चा जो न्यायालय से दिलाया जायेगा, वह तय शुदा रकम के अलावा वकील साहब का ही होगा इसमें मेरा/हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। फकत ता....

..... माह.....सन् 2026

Shyam Paliwal
R-482510

हस्ताक्षर एडवोकेट

Cony

हस्ताक्षर वकालतनामा देने वाले के

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S. B. Civil Writ Petition No./2026



Anybody.
V/s
Union Of India & Ors.



**Application under rules 159 of Rajasthan High Court Rules
For entering in to Caveat**

MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIPS:

Your Lordship's, humble applicant wants to enter into Caveat under Rule 159 of the Rajasthan High Court Rules and it nothing should be done till the applicants are heard in the present matter. The particulars of the Writ which is likely to file are given below.

The Writ Petition may be filed by any of the following person:

Anybody

That the Writ Petition is likely to be filed against:

1. Union Of India through The Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi - 110001.
2. The Director General of Training (DGT) Employment Exchange Building, Pusa, New Delhi - 110012.
3. The Director, TC (Training Committee) Section Directorate General of Training, Kaushal Bhawan, New Moti Bagh, Chanakyapuri, New Delhi - 110023.
4. The State Director / Commissioner Directorate of Technical Education, Rajasthan, W-6, Residency Road, Jodhpur - 342011.
5. The Regional Director Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship (RDSDE), Rajasthan, NSTI (W) Campus, Opposite KV No-3, Sansthan Path, Jhallana Doongri, Jaipur - 302017

That the Writ Petition is to be filed will be S. B. Civil Writ Petition No...../2026

Against the order dated 13.04.2026 passed by The Director, TC (Training Committee) Section Directorate General of Training.

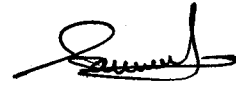
Copy of order dated 13.04.2026 enclosed here with this caveat application

The Memo/Vakalatnama on behalf of Rajesh Kumar is submitted herewith.

It is, therefore, humbly prayed that nothing be done in the case till the applicants are heard.

JODHPUR

Dated-



(SHYAM PALIWAL DSG)

COUNSEL FOR HUMBLE

APPLICANT

Note:-

- (i) That the News update is Available on the website of Dept.

ईमेल द्वारा

DGT-Aff011/1/2026-O/o DIR (TC) (E- 76588)

भारत सरकार/Government of India

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय/ Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

प्रशिक्षण महानिदेशालय/Directorate General of Training

7वीं मंजिल, कौशल भवन, न्यू मोती बाग,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली – 110023,
दिनांक : 13, अप्रैल 2026

To

The State Director (Dealing with Craftsmen Training Scheme),
Directorate of Technical Education,
Rajasthan, W-6, Residency Jodhpur-342011

Subject: Minutes of the 27th Meeting of the Standing Committee on Accreditation and Affiliation (SCAA) held on 06.03.2026 - regarding

Madam/ Sir,

Please find the enclosed approved Minutes of the 27th Meeting of “Standing Committee on Accreditation and Affiliation (SCAA) held on 06.03.2026.

2. Any grievances regarding the decision outlined in these minutes may be raised through the NIMI portal (<https://nimionlineadmission.in/iti/GrievancePortal/register.php>) within 30 days from the date of issue of this minute. Grievances submitted after this period will not be considered.

3 This issues with the approval of Competent Authority.

Digitally signed by UJJWAL BISWAS
Date: 2026.04.13 15:45:29 +05'30'
(उज्ज्वल विश्वास/Ujjwal Biswas)
निदेशक/ Director ,टीसी अनुभाग

Copy for information to:

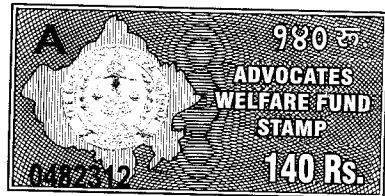
1. Sr.PPS to DG, DGT Hqrs, New Delhi.
2. PPS to DDG(Affiliation)/SCAA Chairperson, DGT Hqrs, New Delhi.
3. The Regional Director, RDSDE Rajasthan.
4. The officer dealing with NCVT MIS with a request to upload and update the order on NCVT MIS portal.

(श्रमेव शर्मा / Shramev Sharma)
उप निदेशक /Deputy Director , टी . सी अनुभाग

Signature Not Verified
UJJWAL BISWAS
13.04.2026 15:49

Signature Not Verified
SHRAMEV SHARMA
12:45 13.04.2026

वकालत नामा



तारीख पेशी

मुकदमा नम्बर

सेवा में श्री

Any body

बनाम

Union of India & or

मैं/हम

Rajesh Kumar

पुत्र

Chetan Ram, Age 39 years,

Deputy Director Ministry of Skill Development & Entrepreneurship,

New Delhi

तहसील

जिला

उपरोक्त मुकदमे में अपनी

ओर से श्री

Shyam Palwal (DSC)

R-4825/10

को वकील नियुक्त करता हूँ/करते हैं। उनको मेरी/हमारी तरफ से नीचे लिखे खास अधिकार होंगे, दावा, जवाब दावा जवाबुल जवाब, अपील, कॉस ऑब्जेक्शन, दरखास्त, निगरानी दरखास्त, नजरसानी दरखास्त, इजराय, इस्तगासा उजरदारी इत्यादि अपने दस्तखत कर प्रस्तुत करना व इससे सम्बन्धित दूसरी दरखास्तें दस्तावेज मुकदमा अदम पैरवी में व इकतरफा होने पर बरामदगी की दरखास्त व इकतरफा मनसुखी की दरखास्त, दस्तावेज प्रस्तुत करना व वापस लेना रकम जमा कराने की दरखास्त करना न्यायालय से रकम वापिस लेना व राजीनामा करना व अपने हस्ताक्षर से राजीनामा प्रस्तुत करना व मुकदमे को वापिस लेना व विशेष शपथ द्वारा मुकदमे का निर्णय करने के लिए पंच नियुक्त करना व मेरी/हमारी तरफ से आर्डर 10 जाब्ता दीवानी के अनुसार बयान देना व मुकदमे की पैरवी एक्ट प्लीड करना व करने के लिए दूसरे वकील को नियुक्त करना व इब्तदाई डिकी से कतई डिकी से व अन्तरिम (दरम्यानी) आज्ञा के विरुद्ध अपील निगरानी व कास ऑब्जेक्शन इत्यादि पेश करना इसी मुख्तारनामा के आधार पर इसी न्यायालय में या दूसरे न्यायालय में करना एवं सब पर अपने हस्ताक्षर करना व तस्दीक स्वीकार करना व इन्कम टेक्स, सेल टेक्स एग्रीकल्चर इन्कम टेक्स व एस्टेट ड्यूटी के कानून के अन्तर्गत प्रत्येक कार्य करना जो करदाता स्वयं करता हो, इसके अलावा वकील साहब को मेरी/हमारी तरफ से सभी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार होगा। जैसाकि मैं/हम खुद कर सकता हूँ/करते हैं व आखिर न्यायालय तक जो कुछ भी कार्यवाही सकील साहब करेंगे सब कार्य होगा जैसाकि मैंने/हमने खुद की हो। इस मुकदमे की पैरोकारी के लिए तय किये हैं जिसमें से रुपयेअदा कर दिये हैं व रुपये दिन में या फैसले के पहले अदा कर दिये जायेंगे। निश्चित समय बाद अदालत मुकदमे की पैरवी बिना मुझको/हमको नोटिस देकर छोड़ सकेंगे। यह रकम बार मुकदमे का निर्णय होने तक के लिए चाहे निर्णय न्याय से हो चाहे आपसी रजामना से हो या शपथ से होने पर भी तय शुदा रकम वकील साहब को लेने का हक होगा। मुकदमा इस न्यायालय से मुत्तकिल होगा या अपील निगरानी वगैरा में जावेगा या रिमाण्ड हो तो इसके लिए न्यायालय का या दूसरे न्यायालय का मेहनताना अलग से देना पड़ेगा हर पेश पर मैं/हम या हिदायत अनुसार मैं/हम पैरवी करता रहूंगा/करते रहेंगे न करने पर वकील साहब को मुकदमे की पैरवी छोड़ने का हक होगा। परन्तु इस सूरत में तय शुदा रकम लेने का हक वकील साहब को होगा। इस मुख्तारनामा की रूह से एक से ज्यादा वकील मुकर्रर किये जाने की सूरत में एक हाजरी काफी होगी। अगर न्यायालय में मेरी रकम जमा होगी उसमें से वकील साहब का बकाया मेहनताना व दीगर खर्च जो वकील साहब मेरे मुकदमे का करेंगे अब्बल लेने का हक होगा व असली कागजात मुकदमे की फाइल बकाया रकम अदा किये बिना ले जाने का हक मेरा नहीं होगा। इल्लुआ पेशी इकतरफा मनसुखी व दीगर दरम्यानी खर्चा जो न्यायालय से दिलाया जायेगा, वह तय शुदा रकम के अलावा वकील साहब का ही होगा इसमें मेरा/हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। फकत ता....

..... माह.....सन् 2026

हस्ताक्षर एडवोकेट

R-4825/10

हस्ताक्षर वकालतनामा देने वाले के
Shyam Palwal 1980@gmail.com
966 9314713872

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S. B. Civil Writ Petition No./2026



Anybody.

V/s

Union Of India & Ors.



**Application under rules 159 of Rajasthan High Court Rules
For entering in to Caveat**

MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIPS:

Your Lordship's, humble applicant wants to enter into Caveat under Rule 159 of the Rajasthan High Court Rules and it nothing should be done till the applicants are heard in the present matter. The particulars of the Writ which is likely to file are given below.

The Writ Petition may be filed by any of the following person:

Anybody

That the Writ Petition is likely to be filed against:

1. Union Of India through The Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi - 110001.
2. The Director General of Training (DGT) Employment Exchange Building, Pusa, New Delhi - 110012.
3. The Director, TC (Training Committee) Section Directorate General of Training, Kaushal Bhawan, New Moti Bagh, Chanakyapuri, New Delhi - 110023.
4. The State Director / Commissioner Directorate of Technical Education, Rajasthan, W-6, Residency Road, Jodhpur - 342011.
5. The Regional Director Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship (RDSDE), Rajasthan, NSTI (W) Campus, Opposite KV No-3, Sansthan Path, Jhallana Doongri, Jaipur - 302017

That the Writ Petition is to be filed will be S. B. Civil Writ Petition No...../2026

Against the order dated 12.08.2026 passed by The Director, TC (Training Committee) Section Directorate General of Training.

Copy of order dated 12.08.2026 enclosed here with this caveat application

The Memo/Vakalatnama on behalf of Rajesh Kumar is submitted herewith.

It is, therefore, humbly prayed that nothing be done in the case till the applicants are heard.

JODHPUR

Dated-



(SHYAM PALIWAL DSG)

COUNSEL FOR HUMBLE

APPLICANT

Note:- That the news update is available on the website of Dept.

ईमेल द्वारा

DGT-Daff/6/2026-O/o DIR (TC) (E- 78481)

भारत सरकार/Government of India

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय/ Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

प्रशिक्षण महानिदेशालय/Directorate General of Training

7वीं मंजिल, कौशल भवन, न्यू मोती बाग,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110023,
दिनांक: 12 अगस्त 2026

To

The State Director (dealing with Craftsmen Training)
Rajasthan,

Subject: Issuance of De-Affiliation Order of Private ITIs of Rajasthan State as discussed in 33rd Standing Committee on Accreditation and Affiliation in its meeting dated 10.07.2026-regarding.

Madam/Sir,

As decided in the 33rd Standing Committee on Accreditation and Affiliation (SCAA) meeting held on 10.07.2026, the de-affiliation matters for the trades & units for the ITIs of Rajasthan State were discussed as Agenda Item No.2 and 3 of the Meeting.

2. Based on the joint inspection reports, the 33rd SCAA recommended de-affiliation of trades/units of Private ITIs w.e.f. session 2026-27, and same has been approved by the Competent Authority. The details of the ITIs are attached at *Annexure - 1*.

3. The recommendation of de-affiliation of trades & units of ITIs, as mentioned in attached list must be read in conjunction with the Minutes of 33rd SCAA meeting issued on 07.08.2026.

4. The ITIs and the State Directorate shall ensure that all the trainees who were already enrolled in the previous sessions, complete the training duration and no fresh trainees are admitted.

This issues with the approval of Competent Authority.

Encl.: As mentioned

भवदीय,
KETANKUMAR
PRAVINBHAI
PATEL
Digitally signed by
KETANKUMAR
PRAVINBHAI PATEL
Date: 2026.08.12 13:20:41
+05'30'

(केतन पटेल)

निदेशक, टी . सी अनुभाग

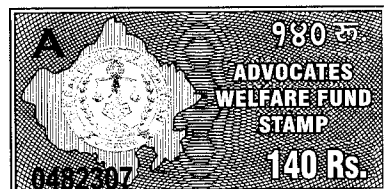
Copy for information to: -

1. Sr.PPS to DG, DGT, Delhi.
2. PPS to DDG (Affiliation).
3. Regional Director, RDSDE Rajasthan, NSTI(W) Campus, Opposite KV No-3, Sansthan Path, Jhallana Doongri, Jaipur-302017
4. DGT MIS Portal in-charge, DGT HQ, New Delhi, with the request to upload this order on DGT MIS Portal & update the data as recommendation please.
5. Concerned ITIs.

Signed By:KETANKUMAR
PRAVINBHAI PATEL
DGT New Delhi
12.08.2026 13:21

(श्रमेव शर्मा)
उपनिदेशक
Signature
Signed By:SHRAMEEV
SHARMA
Signing Date:12.08.2026
13:15 Page 1 of 83

वकालत नामा



तारीख पेशी

मुकदमा नम्बर

सेवा में श्री

Any body

बनाम

Union of India

मैं/हम

Rajesh Kumar

पुत्र

Chetan Ram, Aged 33 years

जाति

Deputy Director, Ministry of Skill Development

Depts.

New Delhi

जिला

उपरोक्त मुकदमे में अपनी

ओर से श्री

Shyam Palwal (QSC)

R-4825110

को वकील नियुक्त करता हूँ/करते हैं। उनको मेरी/हमारी तरफ से नीचे लिखे खास अधिकार होंगे, दावा, जवाब दावा जवाबुल जवाब, अपील, कॉस ऑब्जेक्शन, दरखास्त, निगरानी दरखास्त, नजरसानी दरखास्त, इजराय, इस्तगासा उजरदारी इत्यादि अपने दस्तखत कर प्रस्तुत करना व इससे सम्बन्धित दूसरी दरखास्तें दस्तावेज मुकदमा अदम पैरवी में व इकतरफा होने पर बरामदगी की दरखास्त व इकतरफा मनसुखी की दरखास्त, दस्तावेज प्रस्तुत करना व वापस लेना रकम जमा कराने की दरखास्त करना न्यायालय से रकम वापिस लेना व राजीनामा करना व अपने हस्ताक्षर से राजीनामा प्रस्तुत करना व मुकदमे को वापिस लेना व विशेष शपथ द्वारा मुकदमे का निर्णय करने के लिए पंच नियुक्त करना व मेरी/हमारी तरफ से आर्डर 10 जाब्ता दीवानी के अनुसार बयान देना व मुकदमे की पैरवी एक्ट प्लीड करना व करने के लिए दूसरे वकील को नियुक्त करना व इब्तदाई डिकी से कतई डिकी से व अन्तरिम (दरम्यानी) आज्ञा के विरुद्ध अपील निगरानी व कास ऑब्जेक्शन नामा के आधार पर इसी न्यायालय में या दूसरे न्यायालय में करना एवं र तसदीक स्वीकार करना व इन्कम टेक्स, सेल टेक्स एग्रीकल्चर इन्कम टेक्स अन्तर्गत प्रत्येक कार्य करना जो करदाता स्वयं करता हो, इसके अलावा तरफ से सभी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार होगा। जैसा कि मैं, ते हैं व आखिर न्यायालय तक जो कुछ भी कार्यवाही सकील साहब करेंगे सब मुझको/हमको स्वीकार होगा जैसा कि मैंने/हमने खुद की हो। इस मुकदमे की पैरोकारी के लिये रुपये.....) अक्षरे तय किये हैं जिसमें से रुपयेअदा कर दिये हैं व रुपये) बाकी रहे सो..... दिन में या फैसले के पहले अदा कर दिये जायेंगे। निश्चित समय बाद अदा न करने पर सकील साहब मुकदमे की पैरवी बिना मुझको/हमको नोटिस देकर छोड़ सकेंगे। यह रकम इसी अदालत से एक बार मुकदमे का निर्णय होने तक के लिए चाहे निर्णय न्याय से हो चाहे आपसी रजामन्दी से हो या शपथ से होने पर भी तय शुदा रकम वकील साहब को लेने का हक होगा। मुकदमा इस न्यायालय से मुत्तकिल होगा या अपील निगरानी वगैरा में जावेगा या रिमाण्ड हो तो इसके लिए न्यायालय का या दूसरे न्यायालय का मेहनताना अलग से देना पड़ेगा हर पेश पर मैं/हम या हिदायत अनुसार मैं/हम पैरवी करता रहूंगा/करते रहेंगे न करने पर वकील साहब को मुकदमे की पैरवी छोड़ने का हक होगा। परन्तु इस सूरत में तय शुदा रकम लेने का हक वकील साहब को होगा। इस मुख्तारनामा की रूह से एक से ज्यादा वकील मुकर्रर किये जाने की सूरत में एक हाजरी काफी होगी। अगर न्यायालय में मेरी रकम जमा होगी उसमें से वकील साहब का बकाया मेहनताना व दीगर खर्च जो वकील साहब मेरे मुकदमे का करेंगे अब्बल लेने का हक होगा व असली कागजात मुकदमे की फाइल बकाया रकम अदा किये बिना ले जाने का हक मेरा नहीं होगा। इल्लुआ पेशी इकतरफा मनसुखी व दीगर दरम्यानी खर्चा जो न्यायालय से दिलाया जायेगा, वह तय शुदा रकम के अलावा वकील साहब का ही होगा इसमें मेरा/हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। फकत ता....

..... माह.....सन् 2026

हस्ताक्षर एडवोकेट

R-4825110

हस्ताक्षर वकालतनामा देने वाले के

03/09/26

Shyam Palwal@gmail.com

9314713872

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

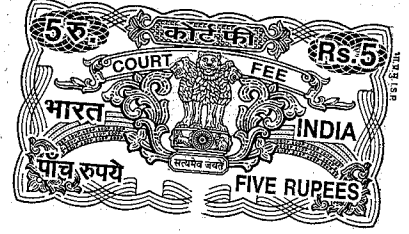
S. B. Civil Writ Petition No./2026



Anybody.

V/s

Union Of India & Ors.



**Application under rules 159 of Rajasthan High Court Rules
For entering in to Caveat**

MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIPS:

Your Lordship's, humble applicant wants to enter into Caveat under Rule 159 of the Rajasthan High Court Rules and it nothing should be done till the applicants are heard in the present matter. The particulars of the Writ which is likely to file are given below.

The Writ Petition may be filed by any of the following person:

Anybody

That the Writ Petition is likely to be filed against:

1. Union Of India through The Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi - 110001.
2. The Director General of Training (DGT) Employment Exchange Building, Pusa, New Delhi - 110012.
3. The Director, TC (Training Committee) Section Directorate General of Training, Kaushal Bhawan, New Moti Bagh, Chanakyapuri, New Delhi - 110023.
4. The State Director / Commissioner Directorate of Technical Education, Rajasthan, W-6, Residency Road, Jodhpur - 342011.
5. The Regional Director Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship (RDSDE), Rajasthan, NSTI (W) Campus, Opposite KV No-3, Sansthan Path, Jhallana Doongri, Jaipur - 302017

That the Writ Petition is to be filed will be S. B. Civil Writ Petition No...../2026

Against the order dated 08.07.2026 passed by The Director, TC (Training Committee) Section Directorate General of Training.

Copy of order dated 08.07.2026 enclosed here with this caveat application

The Memo/Vakalatnama on behalf of Rajesh Kumar is submitted herewith.

It is, therefore, humbly prayed that nothing be done in the case till the applicants are heard.

JODHPUR

Dated-



(SHYAM PALIWAL DSG)

COUNSEL FOR HUMBLE APPLICANT

Note:-

(i) That the News update is available on the website of Debt.

ईमेल द्वारा

DGT-Daff/6/2026-O/o DIR (TC) [E- 78481]

भारत सरकार/Government of India

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय/ Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

प्रशिक्षण महानिदेशालय/Directorate General of Training

7वीं मंजिल, कौशल भवन, न्यू मोती बाग,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110023,
दिनांक : 08 जुलाई 2026

To

The State Director,
Directorate of Technical Education, Rajasthan,
W-6, Residency Jodhpur-342011.

Subject: Minutes of the 31st Meeting of the Standing Committee on Accreditation and Affiliation held on 18.06.2026 - regarding

Madam/ Sir,

Please find attached herewith a copy of Minutes of the 31st Meeting of "Standing Committee on Accreditation and Affiliation (SCAA) held on 18.06.2026.

2. Any grievances regarding the decision outlined in the Minutes of the Meeting may be raised through the NIMI portal (<https://nimionlineadmission.in/iti/GrievancePortal/register.php>) within 30 days from the date of issue of the Minutes of the Meeting. Grievances submitted after this period will not be considered.

3 This issues with the approval of Competent Authority.

भवदीय ,


(केतन पटेल)

निदेशक, टी . सी अनुभाग

Copy for information to:

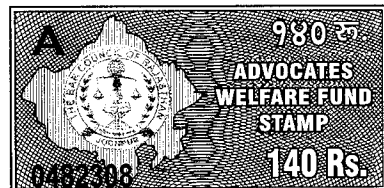
1. Sr.PPS to DG(T), DGT, New Delhi.
2. PPS to DDG(Affiliation)/SCAA Chairperson, DGT Hqrs, New Delhi.
3. The Regional Director, RDSDE Rajasthan, NSTI(W) Campus, Opposite KV No-3, Sansthan Path, Jhallana Doongri, Jaipur-302017
4. DGT MIS Portal In-charge, New Delhi, with a request to upload MoM on DGT MIS portal.



(श्रमेव शर्मा / Shramev Sharma)

उप निदेशक /Deputy Director , टी . सी अनुभाग

वकालत नामा



तारीख पेशी

मुकदमा नम्बर

S.B. Civil writ Petition No

126

सेवा में श्री

R.H.C. at Jodhpur

Anybody

बनाम

Union of India &c.

मैं/हम

Rajesh Kumar

पुत्र

Chetan Ram, Age 39 years

जाति

Dep. Director Ministry of Skill Development Dept.

New Delhi

तहसील

जिला

उपरोक्त मुकदमे में अपनी

ओर से श्री

Shyam Paliwal (Adv)

R-4825/10

को वकील नियुक्त करता हूँ/करते हैं। उनको मेरी/हमारी तरफ से नीचे लिखे खास अधिकार होंगे, दावा, जवाब दावा जवाबुल जवाब, अपील, काँस ऑब्जेक्शन, दरखास्त, निगरानी दरखास्त, नजरसानी दरखास्त, इजराय, इस्तगासा उजरदारी इत्यादि अपने दस्तखत कर प्रस्तुत करना व इससे सम्बन्धित दूसरी दरखास्तें दस्तावेज मुकदमा अदम पैरवी में व इकतरफा होने पर बरामदगी की दरखास्त व इकतरफा मनसुखी की दरखास्त, दस्तावेज प्रस्तुत करना व वापस लेना रकम जमा कराने की दरखास्त करना न्यायालय से रकम वापिस लेना व राजीनामा करना व अपने हस्ताक्षर से राजीनामा प्रस्तुत करना व मुकदमे को वापिस लेना व विशेष शपथ द्वारा मुकदमे का निर्णय करने के लिए पंच नियुक्त करना व मेरी/हमारी तरफ से आर्डर 10 जाब्ता दीवानी के अनुसार बयान देना व मुकदमे की पैरवी एक्ट प्लीड करना व करने के लिए दूसरे वकील को नियुक्त करना व इब्तदाई डिकी से कतई डिकी से व अन्तरिम (दरम्यानी) आज्ञा के विरुद्ध अपील निगरानी व कास ऑब्जेक्शन इत्यादि पेश करना इसी मुख्तारनामा के आधार पर इसी न्यायालय में या दूसरे न्यायालय में करना ए स्वीकार करना व इन्कम टेक्स, सेल टेक्स एग्रीकल्चर इन्कम प्रत्येक कार्य करना जो करदाता स्वयं करता हो, इसके अला सभी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार होगा। जैसाकि आखिर न्यायालय तक जो कुछ भी कार्यवाही सकील साहब जैसाकि मैंने/हमने खुद की हो। इस मुकदमे की पैरोकारी के लिये रुपये.....) अक्षरे तय किये है जिसमें से रुपयेअदा कर दिये है व रुपये) बाकी रहे सो..... दिन में या फैसले के पहले अदा कर दिये जायेंगे। निश्चित समय बाद अदा न करने पर सकील साहब मुकदमे की पैरवी बिना मुझको/हमको नोटिस देकर छोड़ सकेंगे। यह रकम इसी अदालत से एक बार मुकदमे का निर्णय होने तक के लिए चाहे निर्णय न्याय से हो चाहे आपसी रजामन्दी से हो या शपथ से होने पर भी तय शुदा रकम वकील साहब को लेने का हक होगा। मुकदमा इस न्यायालय से मुन्तकिल होगा या अपील निगरानी वगैरा में जावेगा या रिमाण्ड हो तो इसके लिए न्यायालय का या दूसरे न्यायालय का मेहनताना अलग से देना पड़ेगा हर पेश पर मैं/हम या हिदायत अनुसार मैं/हम पैरवी करता रहूंगा/करते रहेंगे न करने पर वकील साहब को मुकदमे की पैरवी छोड़ने का हक होगा। परन्तु इस सूरत में तय शुदा रकम लेने का हक वकील साहब को होगा। इस मुख्तारनामा की रूह से एक से ज्यादा वकील मुकरर किये जाने की सूरत में एक हाजरी काफी होगी। अगर न्यायालय में मेरी रकम जमा होगी उसमें से वकील साहब का बकाया मेहनताना व दीगर खर्च जो वकील साहब मेरे मुकदमे का करेंगे अव्वल लेने का हक होगा व असली कागजात मुकदमे की फाइल बकाया रकम अदा किये बिना ले जाने का हक मेरा नहीं होगा। इल्लुआ पेशी इकतरफा मनसुखी व दीगर दरम्यानी खर्चा जो न्यायालय से दिलाया जायेगा, वह तय शुदा रकम के अलावा वकील साहब का ही होगा इसमें मेरा/हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। फकत ता....

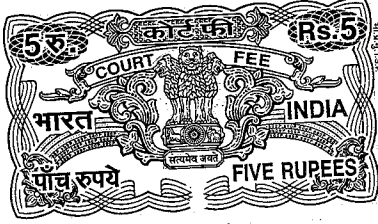
..... माह.....सन् 2026

हस्ताक्षर एडवोकेट R-4825/10

हस्ताक्षर वकालतनामा देने वाले के

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S. B. Civil Writ Petition No./2026



Anybody.
V/s
Union Of India & Ors.



**Application under rules 159 of Rajasthan High Court Rules
For entering in to Caveat**

MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIPS:

Your Lordship's, humble applicant wants to enter into Caveat under Rule 159 of the Rajasthan High Court Rules and it nothing should be done till the applicants are heard in the present matter. The particulars of the Writ which is likely to file are given below.

The Writ Petition may be filed by any of the following person:

Anybody

That the Writ Petition is likely to be filed against:

1. Union Of India through The Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi - 110001.
2. The Director General of Training (DGT) Employment Exchange Building, Pusa, New Delhi - 110012.
3. The Director, TC (Training Committee) Section Directorate General of Training, Kaushal Bhawan, New Moti Bagh, Chanakyapuri, New Delhi - 110023.
4. The State Director / Commissioner Directorate of Technical Education, Rajasthan, W-6, Residency Road, Jodhpur - 342011.
5. The Regional Director Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship (RDSDE), Rajasthan, NSTI (W) Campus, Opposite KV No-3, Sansthan Path, Jhallana Doongri, Jaipur - 302017

That the Writ Petition is to be filed will be S. B. Civil Writ Petition No...../2026

Against the order dated 22.07.2026 passed by The Director, TC (Training Committee) Section Directorate General of Training.

Copy of order dated 22.07.2026 enclosed here with this caveat application

The Memo/Vakalatnama on behalf of Rajesh Kumar is submitted herewith.

It is, therefore, humbly prayed that nothing be done in the case till the applicants are heard.

JODHPUR

Dated-


(SHYAM PALIWAL DSG)
COUNSEL FOR HUMBLE
APPLICANT

Note:- That the News update is Available on the website of Dept.

DGT-Aff011(51)/1/2025-O/o DIR (TC)(E- 78713)
Government of India/भारत सरकार
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship/कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
Directorate General of Training/ प्रशिक्षण महानिदेशालय

Kaushal Bhawan
New Delhi- 110023
Date: 22.07.2026

1. The State Directors

Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Delhi, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Meghalaya, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu Telangana, Uttarakhand, Uttar Pradesh and West Bengal

2. The Regional Directors, RDSDEs

Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Delhi, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu Telangana, Uttarakhand, Uttar Pradesh and West Bengal

Subject: Minutes of the 32nd Meeting of the Standing Committee on Accreditation and Affiliation (SCAA) held on 02.07.2026 & 03.07.2026 - regarding.

Madam/Sir,

Please find enclosed herewith a copy of approved Minutes of the 32nd Meeting of “Standing Committee on Accreditation and Affiliation (SCAA)” held on 02.07.2026 and 03.07.2026. Any grievances regarding the decisions outlined in these Minutes may be raised through the portal within 30 days from the date of issue of this Minutes of the Meeting. Grievances submitted after the prescribed period will not be considered.

2. Seat matrix generation for the session 2026–27 for affiliated trades shall be carried out purely based on the mapping of instructors available on the NIMS Portal.
3. This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,
KETANKUMAR Date: 2026.07.22
PRAVINBHAI PATEL 12:01:33 +05'30'
(Ketan Patel/ केतन पटेल)
Director - TC/ निदेशक – टीसी

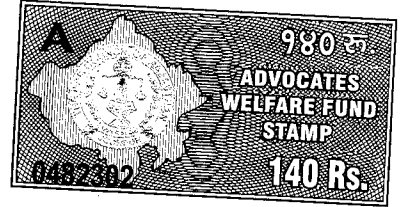
Copy for information to:

1. Sr PPS to DG(T)/SS, DGT, Delhi
2. PPS to DDG (HQ), PPS to DDG (South), PPS to DDG (East).
3. DGT MIS Portal in charge, DGT HQ, New Delhi, with a request to upload MoM on DGT MIS Portal.

POOJA VERMA
DGT New Delhi
22.07.2026 11:56

KETANKUMAR
PRAVINBHAI PATEL
DGT New Delhi
22.07.2026 11:58

वकालत नामा



तारीख पेशी
मुकदमा नम्बर

S.B. Civil writ Petition No

12026

सेवा में श्री

R.H.C. at Jodhpur

Anybody

बनाम

Union of India sons

मैं/हम

Rajesh Kumar

पुत्र

Chetan Ram, Age 30 years

He is Deputy Director Ministry of Skill Development
New Delhi

हसील

जिला

उपरोक्त मुकदमे में अपनी

ओर से श्री

Shyam Paliwal (W.S.G.)

R-4825110

को वकील नियुक्त करता हूँ/करते हैं। उनको मेरी/हमारी तरफ से नीचे लिखे खास अधिकार होंगे, दावा, जवाब दावा जवाबुल जवाब, अपील, कॉस ऑब्जेक्शन, दरखास्त, निगरानी दरखास्त, नजरसानी दरखास्त, इजराय, इस्तगासा उजरदारी इत्यादि अपने दस्तखत कर प्रस्तुत करना व इससे सम्बन्धित दूसरी दरखास्तें दस्तावेज मुकदमा अदम पैरवी में व इकतरफा होने पर बरामदगी की दरखास्त व इकतरफा मनसुखी की दरखास्त, दस्तावेज प्रस्तुत करना व वापस लेना रकम जमा कराने की दरखास्त करना न्यायालय से रकम वापिस लेना व राजीनामा करना व अपने हस्ताक्षर से राजीनामा प्रस्तुत करना व मुकदमे को वापिस लेना व विशेष शपथ द्वारा मुकदमे का निर्णय करने के लिए पंच नियुक्त करना व मेरी/हमारी तरफ से आर्डर 10 जाब्ता दीवानी के अनुसार बयान देना व मुकदमे की पैरवी एक्ट प्लीड करना व करने के लिए दूसरे वकील को नियुक्त करना व इब्तदाई डिक्री से कतई डिक्री से व अन्तरिम (दरम्यानी) आज्ञा के विरुद्ध अपील निगरानी व कागज ऑब्जेक्शन व जमाना जेम्स करना इसी मुख्तारनामा के आधार पर इसी न्यायालय में या दूसरे न्यायालय में स्ताक्षर करना व तस्दीक स्वीकार करना व इन्कम टेक्स, सेल टेक्स एग्रीद टूटी के कानून के अन्तर्गत प्रत्येक कार्य करना जो करदाता स्वयं करता है को मेरी/हमारी तरफ से सभी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार है सक्ता हूँ/सकते हैं व आखिर न्यायालय तक जो कुछ भी कार्यवाही सकील साहब करेंगे सब मुझको/हमको स्वीकार होगा जैसाकि मैंने/हमने खुद की हो। इस मुकदमे की पैरोकारी के लिये रुपये.....) अक्षरे तय किये है जिसमें से रुपयेअदा कर दिये है व रुपये) बाकी रहे सो..... दिन में या फैसले के पहले अदा कर दिये जायेंगे। निश्चित समय बाद अदा न करने पर सकील साहब मुकदमे की पैरवी बिना मुझको/हमको नोटिस देकर छोड़ सकेंगे। यह रकम इसी अदालत से एक बार मुकदमे का निर्णय होने तक के लिए चाहे निर्णय न्याय से हो चाहे आपसी रजामन्दी से हो या शपथ से होने पर भी तय शुदा रकम वकील साहब को लेने का हक होगा। मुकदमा इस न्यायालय से मुन्तकिल होगा या अपील निगरानी वगैरा में जावेगा या रिमाण्ड हो तो इसके लिए न्यायालय का या दूसरे न्यायालय का मेहनताना अलग से देना पड़ेगा हर पेश पर मैं/हम या हिदायत अनुसार मैं/हम पैरवी करता रहूंगा/करते रहेंगे न करने पर वकील साहब को मुकदमे की पैरवी छोड़ने का हक होगा। परन्तु इस सूरत में तय शुदा रकम लेने का हक वकील साहब को होगा। इस मुख्तारनामा की रूह से एक से ज्यादा वकील मुकरर किये जाने की सूरत में एक हाजरी काफी होगी। अगर न्यायालय में मेरी रकम जमा होगी उसमें से वकील साहब का बकाया मेहनताना व दीगर खर्च जो वकील साहब मेरे मुकदमे का करेंगे अब्बल लेने का हक होगा व असली कागजात मुकदमे की फाइल बकाया रकम अदा किये बिना ले जाने का हक मेरा नहीं होगा। इल्लुआ पेशी इकतरफा मनसुखी व दीगर दरम्यानी खर्चा जो न्यायालय से दिलाया जायेगा, वह तय शुदा रकम के अलावा वकील साहब का ही होगा इसमें मेरा/हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। फकत ता....

..... माह.....सन् 2026

हस्ताक्षर एडवोकेट R-4825110

हस्ताक्षर वकालतनामा देने वाले के

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S. B. Civil Writ Petition No./2026



Anybody.

V/s

Union Of India & Ors.



**Application under rules 159 of Rajasthan High Court Rules
For entering in to Caveat**

MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIPS:

Your Lordship's, humble applicant wants to enter into Caveat under Rule 159 of the Rajasthan High Court Rules and it nothing should be done till the applicants are heard in the present matter. The particulars of the Writ which is likely to file are given below.

The Writ Petition may be filed by any of the following person:

Anybody

That the Writ Petition is likely to be filed against:

1. Union Of India through The Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi - 110001.
2. The Director General of Training (DGT) Employment Exchange Building, Pusa, New Delhi - 110012.
3. The Director, TC (Training Committee) Section Directorate General of Training, Kaushal Bhawan, New Moti Bagh, Chanakyapuri, New Delhi - 110023.
4. The State Director / Commissioner Directorate of Technical Education, Rajasthan, W-6, Residency Road, Jodhpur - 342011.
5. The Regional Director Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship (RDSDE), Rajasthan, NSTI (W) Campus, Opposite KV No-3, Sansthan Path, Jhallana Doongri, Jaipur - 302017

That the Writ Petition is to be filed will be S. B. Civil Writ Petition No...../2026

Against the order dated 22.06.2026 passed by The Director, TC (Training Committee) Section Directorate General of Training.

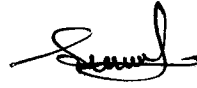
Copy of order dated 22.06.2026 enclosed here with this caveat application

The Memo/Vakalatnama on behalf of Rajesh kumar is submitted herewith.

It is, therefore, humbly prayed that nothing be done in the case till the applicants are heard.

JODHPUR

Dated-



(SHYAM PALIWAL DSG)

COUNSEL FOR HUMBLE

APPLICANT

Note:-

- (i) That the news update is Available on the website of Dept.

ईमेल द्वारा

DGT-Daff/5/2026-O/o DIR (TC) (E- 78001)

भारत सरकार/Government of India

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय/ Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

प्रशिक्षण महानिदेशालय/Directorate General of Training

7वीं मंजिल, कौशल भवन, न्यू मोती बाग,

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110023,

दिनांक : 22 जून 2026

To

The State Director,
Directorate of Technical Education, Rajasthan,
W-6, Residency Jodhpur-342011.

Subject: Minutes of the 30th Meeting of the Standing Committee on Accreditation and Affiliation held on 25.05.2026 - regarding

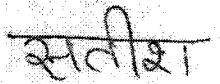
Madam/ Sir,

Please find attached herewith a copy of Minutes of the 30th Meeting of "Standing Committee on Accreditation and Affiliation (SCAA) held on 25.05.2026.

2. Any grievances regarding the decision outlined in the Minutes of the Meeting may be raised through the NIMI portal (<https://nimionlineadmission.in/iti/GrievancePortal/register.php>) within 30 days from the date of issue of the Minutes of the Meeting. Grievances submitted after this period will not be considered.

3 This issues with the approval of Competent Authority.

भवदीय,



(सतीश कुमार)

संयुक्त निदेशक, टी . सी अनुभाग

Copy for information to:

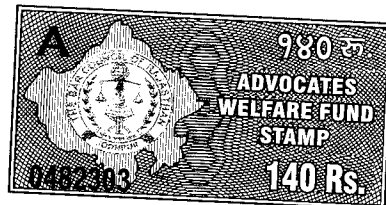
1. Sr.PPS to DG(T), DGT, New Delhi.
2. PPS to DDG(Affiliation)/SCAA Chairperson, DGT Hqrs, New Delhi.
3. The Regional Director, RDSDE Rajasthan, NSTI(W) Campus, Opposite KV No-3, Sansthan Path, Jhallana Doongri, Jaipur-302017
4. DGT MIS Portal In-charge, New Delhi, with a request to upload MoM on DGT MIS portal.



(श्रमेव शर्मा / Shramev Sharma)

उप निदेशक /Deputy Director , टी . सी अनुभाग

वकालत नामा



तारीख पेशी

मुकदमा नम्बर

सेवा में श्री

S.B. Civil writ Petition No.

128

R.M.C. at Jodhpur

Anybody

बनाम

Union of India & ors.

मैं/हम

Rajesh Kumar

पुत्र

Chetan Ram, Aged 39 years,

Deputy Director, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship,

New Delhi

जिला

उपरोक्त मुकदमे में अपनी

ओर से श्री

Shyam Paliwal (DSG)

R-4825110

को वकील नियुक्त करता हूँ/करते हैं। उनको मेरी/हमारी तरफ से नीचे लिखे खास अधिकार होंगे, दावा, जवाब दावा जवाबुल जवाब, अपील, कॉस ऑब्जेक्शन, दरखास्त, निगरानी दरखास्त, नजरसानी दरखास्त, इजराय, इस्तगासा उजरदारी इत्यादि अपने दस्तखत कर प्रस्तुत करना व इससे सम्बन्धित दूसरी दरखास्तें दस्तावेज मुकदमा अदम पैरवी में व इकतरफा होने पर बरामदगी की दरखास्त व इकतरफा मनसुखी की दरखास्त, दस्तावेज प्रस्तुत करना व वापस लेना रकम जमा कराने की दरखास्त करना न्यायालय से रकम वापिस लेना व राजीनामा करना व अपने हस्ताक्षर से राजीनामा प्रस्तुत करना व मुकदमे को वापिस लेना व विशेष शपथ द्वारा मुकदमे का निर्णय करने के लिए पंच नियुक्त करना व मेरी/हमारी तरफ से आर्डर 10 जाब्ता दीवानी के अनुसार बयान देना व मुकदमे की पैरवी एक्ट प्लीड करना व करने के लिए दूसरे वकील को नियुक्त करना व इब्तदाई डिकी से कतई डिकी से व अन्तरिम (दरम्यानी) आज्ञा के विरुद्ध अपील निगरानी व कास ऑब्जेक्शन इत्यादि पेश करना इसी मुख्तारनामा के आधार पर इसी न्यायालय में या दूसरे न्यायालय में करना एवं सब पर अपने हस्ताक्षर करना व तस्दीक स्वीकार करना व इन्कम टेक्स, सेल टेक्स एग्रीकल्चर इत्यादि का न्याय प्रत्येक कार्य करना जो करदाता स्वयं करता हो, इसमें सभी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार होगा। व आखिर न्यायालय तक जो कुछ भी कार्यवाही सकील जैसाकि मैंने/हमने खुद की हो। इस मुकदमे की पैरवी का है जिसमें से रुपयेअदा कर दिये हैं व रुपये बाकी रहे सो..... दिन में या फैसले के पहले अदा कर दिये जायेंगे। निश्चित समय बाद अदा न करने पर सकील साहब मुकदमे की पैरवी बिना मुझको/हमको नोटिस देकर छोड़ सकेंगे। यह रकम इसी अदालत से एक बार मुकदमे का निर्णय होने तक के लिए चाहे निर्णय न्याय से हो चाहे आपसी रजामन्दी से हो या शपथ से होने पर भी तय शुदा रकम वकील साहब को लेने का हक होगा। मुकदमा इस न्यायालय से मुत्तकिल होगा या अपील निगरानी वगैरा में जावेगा या रिमाण्ड हो तो इसके लिए न्यायालय का या दूसरे न्यायालय का मेहनताना अलग से देना पड़ेगा हर पेश पर मैं/हम या हिदायत अनुसार मैं/हम पैरवी करता रहूंगा/करते रहेंगे न करने पर वकील साहब को मुकदमे की पैरवी छोड़ने का हक होगा। परन्तु इस सूरत में तय शुदा रकम लेने का हक वकील साहब को होगा। इस मुख्तारनामा की रूह से एक से ज्यादा वकील मुकरर किये जाने की सूरत में एक हाजरी काफी होगी। अगर न्यायालय में मेरी रकम जमा होगी उसमें से वकील साहब का बकाया मेहनताना व दीगर खर्च जो वकील साहब मेरे मुकदमे का करेंगे अव्वल लेने का हक होगा व असली कागजात मुकदमे की फाइल बकाया रकम अदा किये बिना ले जाने का हक मेरा नहीं होगा। इल्लुआ पेशी इकतरफा मनसुखी व दीगर दरम्यानी खर्चा जो न्यायालय से दिलाया जायेगा, वह तय शुदा रकम के अलावा वकील साहब का ही होगा इसमें मेरा/हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। फकत ता....

..... माह..... सन् 2026

हस्ताक्षर एडवोकेट

Shyam Paliwal
R-4825110

हस्ताक्षर वकालतनामा देने वाले के

Shyampaliwal1980@gmail.com

9314713872

NOTICE
GENERAL CAVEAT

The Directorate General of Training (DGT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, has issued orders in respect of various Industrial Training Institutes (ITIs) in the State of Rajasthan in connection with de-affiliation proceedings, pursuant to the decisions of the Standing Committee on Accreditation and Affiliation (SCAA), as recorded in the 27th, 30th, 31st and 33rd SCAA Minutes of Meeting Orders dated 13.04.2026, 22.06.2026, 08.07.2026 and 07.08.2026 respectively.

In case any affected party, person, or institution approaches the Hon'ble Rajasthan High Court, Jodhpur Bench, challenging the aforesaid orders or seeking any interim relief, the concerned Department/DGT shall be duly informed and an advance copy of the petition/proceedings shall be served upon the office of Sh. Shyam Paliwal, Deputy Solicitor General of India, Rajasthan High Court, Jodhpur.

The Department/DGT shall be kept informed of all such legal proceedings to facilitate effective representation before the Hon'ble Court.

Regards,
Shyam Paliwal DSG